

अवकाश/अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदन:-

टिप्पणी— (1) गद 1 से 10 तक की प्रतिष्ठियाँ राशि आवेदकों द्वारा, चाहे वे यजपत्रित अधिकारी हों, अथवा अराजपत्रित कर्मचारी हों, गरी जायेगी।

(2) गद 10 के बाल अवकाश के नकदीकरण के मामले में लागू होगी।

1— आवेदक का नामः—

2— लागू अवकाश नियमः—

3— पदनामः—

4— विभागः—

5— वेतनः—

6— अवकाश किस दिनांक से कि दिनांक से तक दिनांक तक अपेक्षित है तथा उसकी अवकाश की प्रकृति प्राथित अवकाश का प्रयोजनः—

7— पिछली बार लिए गए अवकाश की दिनांक से तक अवधि और प्रकृति:—

8— अवकाश की अवधि में पता:—

9— (क) (1) क्या 30 दिन / 15 दिन के औसत वेतन पर अवकाश/अर्जित अवकाश अपेक्षित है ? नहीं

(2) यदि हाँ तो किस दिनांक को

(ख) क्या चालू कैलेन्डर वर्ष में इससे पूर्व अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई है ?

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

11— अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति / संस्तुति.....

स्वीकृता अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम